NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PIONEER, Delhi, 26.10.2024
Page No. 5, Size:(16.10)cms X (22.71)cms.

NHRC takes suo motu cognisance of media report of VIII standard girl suicide

PIONEER NEWS SERVICE
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a media report that a 13-year-old girl student in VIII standard at a private school, allegedly died by suicide in Andhra Pradesh's Guntur district two days ago. Reportedly, the incident happened in the school hostel campus at Reddypalem village panchayat area of the District on 23rd October, 2024.

"The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim girl.

The girl has reportedly committed suicide inside the hostel premises i.e. in the lawful custody of the school authorities which is a matter of concern," said a statement from the Apex body of the Human Rights.

Accordingly, notices have been issued to the Chief Secretary and the Director General of Police, Government of Andhra Pradesh calling for a detailed report supported by a thorough probe within four weeks, added the statement.

It is expected to include the status of the police investigation and post-mortem examination including the cause of death.

The authorities are also directed to share the report of any other enquiry conducted in the matter, said an official from the NHRC.

HINDU, Delhi, 26.10.2024
Page No. 6, Size:(2.99)cms X (9.72)cms.

NHRC issues notice to A.P. over death of teen in hostel

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued notice to the Andhra Pradesh government over the suspected suicide of a 13-year-old girl student of Class 8 in a private school in Guntur district.

The incident took place on October 23 in the school hostel in the Reddypalem panchayat area.

The NHRC said that the matter was of serious concern as the victim allegedly committed suicide inside the hostel premises.

(Those in distress can seek assistance on Roshni Helpline, Andhra Pradesh, Telangana: +91814200033)

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 26.10.2024
Page No. 18, Size:(5.08)cms X (6.72)cms.

NHRC takes suo moto cognisance of the reported death of a four-year-old boy

The National Human Rights Commission, India has taken suo moto cognisance of a media report that a four-year-old boy died after a part of a machine in an open-air gym fell on him in a municipality-run park in West Delhi's Moti Nagar on Oct 13.

The Commission has issued notices to the Chief Secretary, Govt of NCT of Delhi, Vice-Chairman, DDA, Commissioner, MCD and Secretary, NDMC calling for a detailed report.

ANI, Online, 26.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC takes suo motu cognizance of reported death of girl by suicide in private school premises in Guntur

https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-reported-death-of-girl-by-suicide-in-private-school-premises-in-guntur20241025171435/

ANI | Updated: Oct 25, 2024 17:14 IST

New Delhi [India], October 25 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a 13-year-old girl student in VIII standard at a private school, allegedly died by suicide in Guntur district of Andhra Pradesh on October 23, 2024.

Reportedly, the incident happened in the school hostel campus at Reddypalem village panchayat area of the District, as per the press release of the National Human Rights Commission.The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim girl.

The girl has reportedly committed suicide inside the hostel premises i.e. in the lawful custody of the school authorities which is a matter of concern.Accordingly, notices have been issued to the Chief Secretary and the Director General of Police, Government of Andhra Pradesh calling for a detailed report supported by a thorough probe within four weeks.

It is expected to include the status of the police investigation and post-mortem examination including the cause of death. The authorities are also directed to share the report of any other enquiry conducted in the matter. (ANI)

NHRC Probes Tragic Death of 13-Year-Old in Andhra Pradesh

https://www.devdiscourse.com/article/headlines/3135217-nhrc-probes-tragic-death-of-13-year-old-in-andhra-pradesh

The NHRC has taken notice of a 13-year-old girl's alleged suicide at a school in Andhra Pradesh. This incident, occurring in the school's hostel, raises serious human rights concerns. The NHRC has requested a detailed report from the state officials within four weeks.

Devdiscourse News Desk | Updated: 25-10-2024 17:20 IST | Created: 25-10-2024 17:20 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) of India has initiated an investigation following media reports of a tragic incident involving a 13-year-old girl student. The girl, an eighth grader at a private school, allegedly died by suicide in Guntur district, Andhra Pradesh, on October 23, 2024, according to NHRC sources.

The incident reportedly took place within the school hostel at Reddypalem village panchayat, sparking serious concerns about human rights violations. The NHRC noted that if the reports are accurate, they reflect a failure by school authorities, who were responsible for the child's welfare while she was in their custody.

In response, the NHRC has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police in Andhra Pradesh. They have been instructed to provide a comprehensive report, including the status of the police investigation, post-mortem results, and any additional inquiries conducted, within a four-week deadline.

NHRC Probes Tragic Suicide of 13-Year-Old Schoolgirl in Andhra Pradesh

https://www.devdiscourse.com/article/headlines/3135218-nhrc-probes-tragic-suicide-of-13-year-old-schoolgirl-in-andhra-pradesh

The National Human Rights Commission has initiated an investigation following the reported suicide of a 13-year-old student in Guntur, Andhra Pradesh, highlighting potential human rights violations. The NHRC has requested a detailed report on the incident from state officials, including the status of the police investigation and post-mortem results.

Devdiscourse News Desk | Updated: 25-10-2024 17:21 IST | Created: 25-10-2024 17:21 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) of India has taken notice of a disturbing report concerning the alleged suicide of a 13-year-old girl in a private school's hostel in Guntur district, Andhra Pradesh, on October 23, 2024.

The NHRC stated that if the media report is accurate, it presents a grave issue of human rights violation, as the alleged incident took place within the school's hostel premises, implicating school authorities while under their legal responsibility. As a result, the NHRC has issued notices to Andhra Pradesh's Chief Secretary and Director General of Police, demanding a comprehensive probe within four weeks.

The commission has specified that this report should encompass the progress of the police investigation and findings from the post-mortem examination, including the cause of death. Authorities are also required to include details of any additional inquiries conducted related to the tragic incident. (ANI)

ETV BHARAT, Online, 26.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Rajasthan: देश में मानवाधिकार के उल्लंघन के हर साल 80 हजार मामले, सेक्रेटरी जनरल बोले- जागरूकता से घट रहे आंकड़े

https://www.etvbharat.com/hi/!state/80-thousand-cases-of-human-rights-violations-in-country-every-year-secretary-general-bharat-lal-said-figures-are-decreasing-due-to-awareness-rajasthan-news-rjs24102505021

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राजस्थान पुलिस की ओर से पुलिस अफसरों के लिए दो दिन का क्षमता संवर्धन प्रोग्राम.

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 16 hours ago

जयपुर : मानवाधिकार हनन की घटनाओं को लेकर **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** सख्त नजर आ रहा है. आयोग लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ऐसे मामलों पर नजर रखकर त्वरित कार्रवाई करता है. यह कहना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी जनरल भरत लाल का. उन्होंने कहा कि देश में हर साल मानवाधिकार के उल्लंघन के 80 हजार मामले सामने आते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में इस आंकड़े में लगातार कमी आ रही है. जागरूकता इसका मुख्य कारण है. दरअसल, मानवाधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस ऑफिसर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है. जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी के सभागार में शुक्रवार को दो दिवसीय विशेष क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर मानवाधिकार आयोग के पदाधिकारी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं.

एसपी-आईजी रैंक के 40 अफसरों को प्रशिक्षण : कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी जनरल भरत लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस मौके पर डीजीपी यूआर साहू समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे. दो दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में विभिन्न सत्रों में राजस्थान पुलिस के आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के 40 पुलिस अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा.

स्व-प्रसंज्ञान का आंकड़ा भी बढ़ रहा : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी जनरल भरत लाल ने मीडिया में बातचीत के दौरान बताया कि हमारा देश बड़े भूभाग और विभिन्न परंपराओं वाला देश है. जहां पहले हर साल मानवाधिकार के उल्लंघन की 80 हजार के करीब शिकायतें आती थी. लेकिन अब जागरूकता के साथ ही इस आंकड़े में कमी आ रही है. तीन साल पहले आयोग द्वारा एक साल में स्व-प्रसंज्ञान के 16 मामले सामने आते थे. जबकि पिछले सालों में यह आंकड़ा काफी बढ़ गया है. आयोग मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हर मामले पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर स्व-प्रसंज्ञान लेता है.

पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले : देश में बढ़ती मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर सख्ती दिखाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी जनरल भरत लाल ने कहा कि आयोग ऐसी घटनाओं पर त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा. पुलिस पर मानवाधिकार हनन की आरोपों पर उन्होंने कहा कि पुलिस

का काम मानवाधिकारों की रक्षा का है. कई बार पुलिस द्वारा ही अधिकारों का मानवाधिकारों का हनन किया जाता है. आयोग के पास ऐसी कई शिकायतें भी आती है. जिनका अनुसंधान कर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं.

अफसरों के लिए फायदेमंद होगा प्रशिक्षण : भरत लाल बताया कि आयोग खुद सीधे तौर से कोई कार्रवाई नहीं करता, बल्कि पुलिस या अन्य एजेंसियों को निर्देश देकर कार्रवाई करवाई जाती है. वहीं, डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस अधिकारियों से काफी लाभदायक रहेगा. उन्हें मानवाधिकारों से जुड़े पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी और परिवादियों को न्याय मिलेगा.

ETV BHARAT, Online, 26.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Delhi: ओपन जिम टूल गिरने से बच्चे की हुई थी मौत, मानवअधिकार आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस

https://www.etvbharat.com/hi/!state/notice-to-chief-secretary-in-the-case-of-death-of-a-four-year-old-child-in-open-gym-park-delhi-news-dls24102502258

-मोती नगर में ओपन जिम में बच्ची की मौत मामला -NHRC ने मुख्य सचिव और नगर निगम के कमिश्नर को नोटिस भेजा

By IANS Published : 21 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली के मोती नगर में ओपन जिम का टूल गिरने से एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई थी. इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है. बच्चे की मृत्यु 13 अक्टूबर को मोती नगर इलाके के एक पार्क में ओपन-एयर जिम की मशीन का एक हिस्सा गिरने से हो गई थी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक उसने मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव और नगर निगम के कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक घटना स्थल पर उपस्थित लोगों ने पार्क में लगे उपकरण के नट-बोल्ट ढीले होने के कारण दुर्घटना होने की आशंका जताई थी. आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट अगर सत्य है, तो सार्वजनिक पार्क में लगाए गए उपकरणों की देखभाल में अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है ऐसे में ये मानवाधिकारों के उल्लंघन का यह एक गंभीर विषय है.

आयोग का कहना है कि यह घटना दिल्ली में स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा शासित, प्रबंधित और रखरखाव किए जाने वाले अन्य सार्वजनिक पार्कों में उपकरणों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है. आयोग ने एनसीटी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, डीडीए के उपाध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और सचिव, इसके अलावा एनडीएमसी को नोटिस जारी किया है. इन सभी से चार हफ्ते के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.

अधिकारियों से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने संबंधी जानकारी भी मांगी गई है. रिपोर्ट में अधिकारियों से दिल्ली में उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक पार्कों में लगे झूलों और जिम उपकरणों आदि के रखरखाव और सुरक्षा ऑडिट की स्थिति भी मांगी गई है. आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से इस विषय पर अपनी टिप्पणी देने के साथ ही इस मामले में की जा रही पुलिस जांच की स्थिति भी बताने को कहा है. इससे पहले आयोग ने दिल्ली में नाले में गिरने से हो रही लोगों की मौत पर भी रिपोर्ट मांगी थी.

दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक खुले नाले में गिरने से 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया था, यहां निर्माण कार्य के ठेकेदार ने बिना कोई चेतावनी संकेत लगाए नाली को जगह-जगह खुला छोड़ दिया था. आयोग ने पाया है कि हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में यह ऐसी पांचवीं ऐसी घटना थी.

Student suicide : police suspect girl could not cope with academic pressure

https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/student-suicide-police-suspect-girl-could-not-cope-with-academic-pressure/article68796716.ece

She was not interested in studies and unable to get good marks, say police officers

Published - October 25, 2024 09:17 pm IST - GUNTUR

The 13-year-old girl who allegedly committed suicide at Sri Chaitanya school's hostel at Reddypalem on the Inner Ring Road (IRR) of the Guntur Municipal Corporation three days ago, reportedly took the extreme step unable to cope with the academic pressure.

Guntur district Superintendent of Police S. Satish Kumar told The Hindu on Friday (October 25) that as per the preliminary inquiry, the student, who hailed from Chilakaluripet in Palnadu district, was not interested in studies and committed suicide on the hostel premises. Since it was a suicide, the police did not name any accused in the case so far, he added.

The circle inspector of Nallapadu police station, Vamsidhar Kandepu, who is the inquiry officer (IO) of the case, said the girl committed suicide as she could not study well. "The mother of the deceased girl said she was not well during the recent Dasara holidays, when she went home. Her classmates informed that she was not getting good marks and was unable to concentrate on studies," he said.

The student allegedly committed suicide on October 22 night. The hostel warden and other students found the girl hanging from the ceiling. A case was filed the next day, according to the police.

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday ordered an inquiry into the death of the girl.

Persons in distress can call '100' for help and counselling.

HINDU, Online, 26.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC issues notice to A.P. government over death of student in school hostel

https://www.thehindu.com/news/national/nhrc-issues-notice-to-ap-govt-over-death-of-student-in-school-hostel/article68795876.ece

Commission seeks a thorough probe and detailed report within four weeks

Published - October 25, 2024 07:23 pm IST - New Delhi

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday (October 25, 2024) issued notice to the Andhra Pradesh government over the suspected suicide of a 13-year-old girl student of Class VIII in a private school in Guntur district.

The incident took place on October 23 in the school hostel in the Reddypalem village panchayat area.

The NHRC said that the matter was of serious concern as the victim allegedly committed suicide inside the hostel premises i.e. in the lawful custody of the school authorities.

Accordingly, notices have been issued to the Chief Secretary and the Director General of Police, Government of Andhra Pradesh, calling for a detailed report supported by a thorough probe within four weeks. The authorities concerned are expected to include the status of the police investigation and the post-mortem examination, including the cause of death. The authorities are also directed to share the report of any other inquiry conducted in the matter, it said.

(Roshni Helpline, Andhra Pradesh, Telangana: +91814200033)

HINDUSTHAN SAMACHAR, Online, 26.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

आरपीए में ह्यू मन राइट्स पर पुलिस ऑफिसर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/10/25/Capacity-building-program-of-police-officers.php

25 Oct 2024 18:19:31

जयपुर, 25 अक्टूबर (हि.स.)। राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में ह्यू मन राइट्स से जुड़े विषयों पर पुलिस ऑफिसर्स का दो दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुक्रवार से राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) में आरम्भ हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग के सेक्रेटरी जनरल भरत लाल ने कहा कि पुलिस फोर्स पर मानवाधिकारों के रक्षा और संरक्षण की महत्ती जिम्मेदारी है।

पुलिस ऑफिसर्स डयूटी के दौरान आम नागरिकों के सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की रक्षा करने के साथ ही वंचित और कमजोर तबके के लोगों के हितों के संरक्षण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं। उन्होंनेन्हों नेकहा कि मानवाधिकार की परिकल्पना में जीने का आशय गरिमामय व अर्थपूर्ण जीवन जीने से है। महानिदेशक पुलिस, राजस्थान (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने क्षमता संवर्धन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मानवाधिकार मानव के वे मूलभूत अधिकार हैं जो जाति, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति से परे हर एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की बात करते है।

उन्होंनेन्हों नेआमजन के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस के दायित्वों को रेखांकित करते हुए इस संदर्भ में नए कानूनो और प्रक्रियाओं की जानकारी से राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का जयपुर में आयोजन करने के लिए राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग का आभार जताया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम एवं एससीआरबी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने मानवाधिकार आयोग के सेक्रेट्री जनरल भरत लाल का स्मृति चिह्न देकर अभिनंदन किया।

एडीजी सिविल राइट्स एवं एएचटी मालिनी अग्रवाल ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर एनएचआरसी डीजी (इंवेस्टिगेशन) अजय भटनागर, एनएचआरसी के रजिस्ट्रा र (लॉ) जोगिंदर सिंह, एडीजी (ट्रेनिंग) अशोक राठौड़ सहित पुलिस मुख्यालय से एडीजी, आईजी और डीआईज स्तर के अधिकारियों सहित एसपी, एएसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एडीजी एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एस. सेंगाथिर ने सभी का आभार ज्ञापित किया। उद्घाटन सत्र का संचालन डीआईजी दीपक भार्गव ने किया।

कैपेसिटी बिल्डिंग प्रो ग्राम में आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के 40 पुलिस अधिकारी भाग ले रहे है। प्रथम दिन आयोजित हुए ये सत्र पहले दिन आयोजित सेशंस में एनएचआरसी डीजी (इन्वेस्टीगेशन) अजय भटनागर, पीएचआर एक्ट 1993 एनएचआरसी और रोल ऑफ इंवेस्टिगेशन डिवीजन इन एड्रेसिंग ह्यू मन राइट्स तथा तीसरे सत्र में एनएचआरसी के रजिस्ट्रा र (लॉ) जोगिंदर सिंह ने पुलिसिंग और सुप्रीम कोर्ट के कैसेज के बारे में ह्यू मन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस, एनएचआरसी के पूर्व सदस्य राजीव जैन ने

मानवाधिकार एवं न्यायशास्त्र (ज्यूरिशप्रूडेंस) तथा राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान के सदस्य अशोक गुप्ता ने राजस्थान के संदर्भ में मानवाधिकारों के परिदृश्य पर अपने प्रस्तुतीकरण दिए। शनिवार को होगा समापन एडीजी सिविल राइट्स एवं एएचटी मालि नी अग्रवाल ने बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के दूसरे और अंतिम दिन शनिवार को तीन मुख्य सत्रों के बाद समापन एवं वेलेडिक्ट्री सत्र का आयोजन होगा। समापन सत्र के मुख्य अतिथि महानिदेशक पुलिस, राजस्थान (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू होंगेहों गे। इस सत्र में एनएचआरसी डीजी (इन्वेस्टीगेशन) अजय भटनागर भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले दूसरे दिन के प्रथम सेशन में एनएचआरसी डीजी (इंवेस्टिगेशन) अजय भटनागर, ह्यू मन राइट्स एंड एथिकल डिलेमा इन पुलिसिंग, एनएचआरसी के रजिस्ट्रा र (लॉ) जोगिंदर सिंह, मानवाधिकार आयोग में राजस्थान पुलिस के संदर्भ में पंजीकृत प्रकरण तथा एडीजी सिविल राइट्स एवं एएचटी मालिनी अग्रवाल, ह्यू मन राइट्स ऑफ वूमन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डोमेस्टिक वायलेंस पर अपना प्रस्तुतीकरण देंगे।

JANTA SE RISHTA, Online, 26.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

BREAKING: स्कूल परिसर में छात्रा की मौत पर NHRC ने मांगी रिपोर्ट

https://jantaserishta.com/national/breaking-nhrc-seeks-report-on-students-death-in-school-premises-3606465

25 Oct 2024 10:33 PM

New Delhi. नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में एक छात्रा की मौत के मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 23 अक्टूबर को एक निजी स्कूल परिसर में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। यह घटना जिले के रेड्डीपलेम ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्कूल के छात्रावास परिसर में हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः

संज्ञान लिया है। आयोग का कहना है कि समाचार और रिपोर्ट, यदि सत्य है, तो यह पीड़ित लड़की के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। लड़की ने कथित तौर पर छात्रावास परिसर के अंदर यानी स्कूल अधिकारियों के वैध प्रबंधन क्षेत्र में आत्महत्या की है, जो चिंता का विषय है।

इसी को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि वे चार सप्ताह के भीतर गहन जांच की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को दें। रिपोर्ट में पुलिस जांच की स्थिति और मृत्यु के कारण सहित पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। अधिकारियों को इस मामले में की गई किसी भी अन्य जांच की रिपोर्ट साझा करने का भी निर्देश दिया गया है। आयोग ने बीते दिनों दिल्ली के भी कई मामलों में संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में नाले में गिरने से हो रही लोगों की

मौतों पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक खुले नाले में गिरने से एक पांच वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। एक अन्य मामले में चार वर्षीय बच्चे की मृत्यु का संज्ञान आयोग द्वारा लिया गया है। बच्चे की मृत्यु इसी महीने 13 अक्टूबर को पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में हुई थी। यहां नगर निगम द्वारा संचालित पार्क में एक ओपन-एयर जिम में मशीन का एक हिस्सा गिरने से चार वर्षीय बच्चे की मृत्यु हुई थी।

JANTA SE RISHTA, Online, 26.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC ने गुंटूर में निजी स्कूल परिसर में लड़की की आत्महत्या की कथित मौत का स्वतः संज्ञान लिया

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-alleged-death-by-suicide-of-girl-on-private-school-premises-in-guntur-3606017

25 Oct 2024 5:37 PM

New Delhiनई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है कि 23 अक्टूबर, 2024 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक निजी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा की कथित तौर पर आत्महत्या कर ली गई । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार , कथित तौर पर यह घटना जिले के रेड्डीपलेम ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्कूल के छात्रावास परिसर में हुई।

आयोग ने पाया है कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सच है, तो पीड़ित लड़की के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। लड़की ने कथित तौर पर छात्रावास परिसर के अंदर यानी स्कूल अधिकारियों की वैध हिरासत में आत्महत्या कर ली है , जो चिंता का विषय है। तदनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर गहन जांच द्वारा समर्थित विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें पुलिस जांच और मौत के कारण सहित पोस्टमार्टम परीक्षा की स्थिति शामिल होने की उम्मीद है । अधिकारियों को मामले में की गई किसी भी अन्य जांच की रिपोर्ट साझा करने का भी निर्देश दिया गया है। (एएनआई)

NEWS ON AIR, Online, 26.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC Takes Suo Motu Action on Alleged Suicide of 13-Year-Old Student in Andhra Pradesh

https://www.newsonair.gov.in/nhrc-takes-suo-motu-action-on-alleged-suicide-of-13-year-old-student-in-andhra-pradesh/

Site Admin | October 25, 2024 4:55 PM

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report that a thirteen-year-old girl student in the VIII standard at a private school allegedly died by suicide in the Guntur district of Andhra Pradesh on the 23rd of this month. Notices have been issued to the Chief Secretary and the Director General of Police of the Andhra Pradesh government, calling for a detailed report supported by a thorough probe within four weeks. The incident occurred in the school hostel on the campus in the Reddypalem village panchayat area of the district. The Commission has observed that the contents of the news report raise serious issues regarding the violation of the victim’s human rights, if true.

Union Ministry of Social Justice and Empowerment successfully concludes Grand Finale 'SAMAGAM', showcasing month-long Initiatives for Senior Citizens

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2068173

A Nation can only progress when the elderly are cared for and valued: Shri Ramdas Athawale

Government's mission to create an inclusive society, where senior citizens are not only supported but celebrated: Shri B. L. Verma

Posted On: 25 OCT 2024 6:03PM by PIB Delhi

The Union Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE) successfully hosted the Grand Finale 'SAMAGAM' today in New Delhi. The event marked the culmination of a comprehensive series of month-long activities and initiatives aimed at enhancing the dignity, respect, and security of senior citizens across the country. On this occasion, a short movie was also played encompassing all the month-long activities taken during the celebration of International Day of Older Persons, 2024.

The event was graced by distinguished dignitaries, including Union Ministers of State (SJE), Shri Ramdas Athawale and Shri B. L. Verma. Other dignitaries gracing the occasion included Dr. Vinod Kumar Paul, Member NITI Aayog, whose presence underscored the Government's continued commitment to senior citizens' welfare.

Shri Ramdas Athawale addressed the gathering with a focus on the economic and social empowerment of senior citizens. He applauded the Ministry's efforts to bridge the gap between government policies and on-ground implementation, particularly through direct engagement with elderly communities in rural and urban areas. He reiterated the importance of schemes that provide financial security and healthcare, emphasizing that a Nation can only progress when the elderly are cared for and valued.

In his keynote address, Shri B.L. Verma emphasized the critical role senior citizens play in shaping the Nation's values and heritage. He reaffirmed the Government's mission under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi is to create an inclusive society, where senior citizens are not only supported but celebrated. The Minister also highlighted key achievements over the past month, including increased outreach through health camps, pension schemes, skill development programmes for elderly workers, and awareness campaigns aimed at fostering intergenerational solidarity. The Minister praised the collaboration between various Ministries, Departments, and stakeholders, which made the month-long celebration a resounding success.

Dr. Vinod Kumar Paul highlighted the need for continuous innovation in policy design and service delivery to meet the growing needs of India's ageing population. He spoke about the Government's future plans, including expanding digital literacy programmes tailored for senior citizens, enhancing access to geriatric healthcare services, and creating more age-friendly public spaces. His address also touched on the importance of mental health services and the need to combat loneliness and isolation among the elderly.

A wide range of activities were organized during the month of October, as a part of celebration of International Day of Older Persons.

On the 1st of October, Union Minster for Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar presided over a Pledge taking ceremony at the Air Force Bal Bharati School, Lodi Road, New Delhi. This was followed by a walkathon where the students participated with their grandparents. Rashtriya Vayoshree Camps at 51 different locations were organized across India, focussing on providing assistive devices to senior citizens, enhancing their mobility for their overall well-being. (Press Release: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2060836)

A Talk Series was flagged from National Institute of Social Defence (NISD) on 17th October on the theme of 'Ageing with Dignity'. Dr. Dnyaneshwar Manohar Mulay, IFS, Ex-Member National Human Rights Commission (NHRC) and Shri Rajeev Bansal, Member Secretary, Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) were the esteemed speakers.

A Mega Cultural Event 'Aradhana' was organized on 24th October at Dr. Ambedkar International Centre celebrating 'Graceful Ageing: Life begins at 60'. It showcased performance by artists aged 60 years and above, highlighting the message of active ageing, Guru Shishya paramapara, intergenerational solidarity, Indian traditional systems of care and respect. The audience, which included senior citizens, government officials, and other delegates, applauded these initiatives as a significant step toward creating a more inclusive society for the elderly. (Press Release: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2067910)

In addition to this, various activities were carried out at the Regional Resource Training Centres (RRTCs), Old Age Homes and other associated NGOs to ensure widespread observance. A nationwide quiz on senior citizens' rights and welfare schemes was launched on the MyGov platform. The quiz encourages awareness among all age groups, especially the youth, on the importance of respecting and caring for older persons. A dedicated pledge on MyGov invites citizens to commit to the cause of ensuring dignity, respect, and welfare for senior citizens in their communities. Letters

were sent to various Ministries/Departments, States/UTs urging them to initiate specific activities aimed at enhancing the well-being of senior citizens. These include programmes focusing on intergenerational bonding and family values.

The Grand Finale ‘SAMAGAM’ is not just a conclusion of a series of events, but a reaffirmation of Government’s commitment to senior citizens’ well-being and focused on ensuring that the elderly in the country lead lives filled with dignity, security, and happiness. The Ministry expressed gratitude to everyone who contributed to the success of the month-long celebrations and the Grand Finale. The Vote of Thanks was delivered by the Joint Secretary (MoSJE), Ms. Monali Dhakate, who acknowledged the collaborative efforts that brought these impactful initiatives to life.

The Ministry reaffirmed its future objectives, focusing on areas such as enhancing access to healthcare, providing financial support, increasing digital literacy among seniors, and fostering greater societal awareness and sensitivity toward the elderly. The Ministry also encouraged citizens, especially the younger generation, to actively engage in efforts to support and care for senior citizens. The successful conclusion of ‘SAMAGAM’ signals the beginning of a long-term vision where the government, along with the public, continues to work toward building a society that ensures the well-being of every senior citizen in India.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PIONEER, Delhi, 26.10.2024
Page No. 5, Size:(16.10)cms X (22.71)cms.

NHRC takes suo motu cognisance of media report of VIII standard girl suicide

PIONEER NEWS SERVICE
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a media report that a 13-year-old girl student in VIII standard at a private school, allegedly died by suicide in Andhra Pradesh's Guntur district two days ago. Reportedly, the incident happened in the school hostel campus at Reddypalem village panchayat area of the District on 23rd October, 2024.

"The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim girl.

The girl has reportedly committed suicide inside the hostel premises i.e. in the lawful custody of the school authorities which is a matter of concern," said a statement from the Apex body of the Human Rights.

Accordingly, notices have been issued to the Chief Secretary and the Director General of Police, Government of Andhra Pradesh calling for a detailed report supported by a thorough probe within four weeks, added the statement.

It is expected to include the status of the police investigation and post-mortem examination including the cause of death.

The authorities are also directed to share the report of any other enquiry conducted in the matter, said an official from the NHRC.

NHRC takes suo motu cognizance of girl's suicide in private school premises

https://www.prameyanews.com/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-girls-suicide-in-private-school-premises-

Published By : Prameya News Bureau | October 25, 2024 5:07 PM

New Delhi, Oct 25: The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a 13-year-old girl student in VIII standard at a private school, allegedly died by suicide in Guntur district of Andhra Pradesh on 23rd October. Reportedly, the incident happened in the school hostel campus at Reddypalem village panchayat area of the district.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of the human rights of the victim girl. The girl has reportedly committed suicide inside the hostel premises. Accordingly, notices have been issued to the Chief Secretary and the Director General of Police, Government of Andhra Pradesh calling for a detailed report supported by a thorough probe within four weeks.

It is expected to include the status of the police investigation and post-mortem examination including the cause of death. The authorities are also directed to share the report of any other inquiry conducted in the matter.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PUNJAB KESARI, Online, 26.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Andhra Pradesh : आंध्र प्रदेश में स्कूल परिसर में छात्रा की मौत पर एनएचआरीसी ने मांगी रिपोर्ट आंध्र प्रदेश में स्कूल परिसर में हुई छात्रा की मौत

Abhishek Kumar

https://www.punjabkesari.com/top-news/andhra-pradesh-nhrc-seeks-report-on-the-death-of-a-student-in-the-school-premises-in-andhra-pradesh

Published on: 25 Oct 2024, 9:54 pm

Andhra Pradesh : आंध्र प्रदेश में एक छात्रा की मौत के मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Andhra Pradesh : स्कूल परिसर में छात्रा की मौत

आंध्र प्रदेश(Andhra Pradesh) के गुंटूर जिले में 23 अक्टूबर को एक निजी स्कूल परिसर में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। बता दें कि यह घटना जिले के रेड्डीपलेम ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्कूल के छात्रावास परिसर में हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है।

Andhra Pradesh : आयोग का कहना है कि समाचार और रिपोर्ट, यदि सत्य है, तो यह पीड़ित लड़की के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। लड़की ने कथित तौर पर छात्रावास परिसर के अंदर यानी स्कूल अधिकारियों के वैध प्रबंधन क्षेत्र में आत्महत्या की है, जो चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि वे चार सप्ताह के भीतर गहन जांच की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को दें।

रिपोर्ट में पुलिस जांच की स्थिति और मृत्यु के कारण सहित पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। अधिकारियों को इस मामले में की गई किसी भी अन्य जांच की रिपोर्ट साझा करने का भी निर्देश दिया गया है।आयोग ने बीते दिनों दिल्ली के भी कई मामलों में संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में नाले में गिरने से हो रही लोगों की मौतों पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक खुले नाले में गिरने से एक पांच वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। एक अन्य मामले में चार वर्षीय बच्चे की मृत्यु का संज्ञान आयोग द्वारा लिया गया है। बच्चे की मृत्यु इसी महीने 13 अक्टूबर को पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में हुई थी। यहां नगर निगम द्वारा संचालित पार्क में एक ओपन-एयर जिम में मशीन का एक हिस्सा गिरने से चार वर्षीय बच्चे की मृत्यु हुई थी।

असम में फर्जी मुठभेड़ों के आरोप गंभीर, मानवाधिकार आयोग को सक्रिय रुख अपनाना चाहिए: । सुप्रीम कोर्ट।

https://www.swatantraprabhat.com/article/145761/draft-add-your-title-allegations-of-fake-encounters-in-assam

On 25 Oct 2024 18:06:56

नई दिल्ली। असम में 'फर्जी' मुठभेड़ों के मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मानवाधिकार आयोगों की स्थापना के पीछे विधायी जनादेश है और उनसे नागरिक स्वतंत्रता के मामलों में सक्रियता से काम करने की उम्मीद की जाती है।असम के संदर्भ में, इसने उन मामलों में असम मानवाधिकार आयोग द्वारा शुरू की गई जांच, यदि कोई हो, के बारे में डेटा मांगा, जहां 'फर्जी' मुठभेड़ के आरोप लगाए गए थे।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता की इसी मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। कथित तौर पर, हाईकोर्ट का मानना था कि कथित घटनाओं की अलग से जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकिक्यों राज्य के अधिकारी प्रत्येक मामले में जांच कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशां त भूषण ने दलील दी कि असम में सैकड़ों मुठभेड़ें हुई हैं और पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन हुआ है।

उन्होंनेन्हों नेआग्रह किया कि अधिकांश मामलों में न तो कोई फोरेंसिक और बैलिस्टिक विश्लेषण हुआ, न ही कोई मजिस्ट्रेट जांच या स्वतंत्र जांच हुई। इसके बजा य, मुठभेड़ों के पीड़ितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और मुठभेड़ों के आरोपी पुलिसकर्मियों ने खुद ही मुठभेड़ पीड़ितों के मामलों की जांच की।

मुठभेड़ों के पीड़ितों द्वारा दायर विशिष्ट घटनाओं और हलफनामों का हवाला देते हुए, भूषण ने अदालत का ध्यान एक महिला के मामले की ओर आकर्षित किया, जिसने दावा किया कि उसके पति की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी। इस महिला के अनुसार, उसके पति के शरीर पर कई चोटें (नाखून गायब, टूटी हुई हड्डियां आदि) थीं,थीं जो थर्ड-डिग्री टॉर्चर का संकेत देती हैं।इस बात पर जोर देते हुए कि मुठभेड़ों के पीड़ितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, वकील ने जोर देकर कहा कि मुठभेड़ों के फर्जी होने के आरोपों की कभी कोई जांच नहीं की गई। दूसरी ओर, असम के एडिशनल एडवोकेट जनरल नलिन कोहली ने बताया कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की साख और "स्पष्ट रूप से झूठेझूठे" बयानों के बारे में चिंता व्यक्त की।

इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता की जनहित याचिका को समय से पहले देखा गया और अनिवार्य रूप से, उन्होंनेन्हों नेअनुच्छेद 226 याचिका के माध्यम से डेटा मांगा था। वकीलों की सुनवाई करते हुए, पीठ ने पूछा कि क्या राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग ने मामले में कोई जांच का आदेश दिया है।

भूषण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि, याचिकाकर्ता ने पहले एनएचआरसी से ही संपर्क किया था। हालांकि, एनएचआरसी ने मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित कर दिया, जिसने इसे बंद कर दिया। असम एचआरसी द्वारा बंद करने की आलोचना करते हुए, भूषण ने कहा कि आयोग ने 6 महीने तक कुछ नहीं किया, और उसके बाद ही, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की, जिसका हवाला देते हुए असम एचआरसी ने उसके समक्ष मामला बंद कर दिया, भले ही उसे (या असम राज्य को) नोटिस जारी नहीं किया गया था।

पीठ ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकिक्यों 171 मामलों में 'फर्जी' मुठभेड़ों का आरोप लगाया गया है। इनमें से कुछ मामले मौत के हैं, जबकि अन्य गंभीर चोटों के हैं। जस्टिस भुइयां ने कहा,"इस तरह की याचिका को समय से पहले खारिज नहीं किया जा सकता...सच यह है कि मुठभेड़ हुई थी...[असम] का अतीत परेशानियों से भरा रहा है और रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में हैं...171 मामलों की संख्या काफी बड़ी है...जिन परिस्थितियों में आरोपियों की मौत हुई है, वे गंभीर संदेह पैदा करते हैं... [...] जोरहाट की घटना का जिक्र करते हुए, जहां आरोपी को सुबह 3 बजे [...] पीछे से एक वाहन से...मोरेगांव की एक घटना में आरोपी को हथकड़ी सहित कुएं में कूदते हुए पाया गया।" जस्टिस भुइयां नेकहा कि स्वदेशी समुदायों को निशाना बनाए जाने पर और दुख जताते हुए कहा,निशाना बनाया जा रहा है!"जस्टिस भुइयां ने असम के दरांग जिले में तीन साल पुराने बेदखली अभियान से संबंधित सेवानिवृत्त गौहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश बीडी अग्रवाल की अध्यक्षता वाले एक आयोग की हाल की न्यायिक जांच

रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें हिंसा में दो लोग मारे गए थे और अन्य घायल हो गए थे। "बीडी अग्रवाल ने हाल ही में एक न्यायिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने हद पार कर दी है, हालांकि बेदखली उचित थी"। इसके साथ ही जस्टिस कांत ने कहा,"आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मानवाधिकार आयोग सक्रिय होंगेहों गे..."।

जवाब में, कोहली ने बताया कि असम पुलिस को आरोपी व्यक्तियों की पहचान से को ई सरोकार नहीं है और बेदखली मामले में, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की गई थी। "अतीत में परेशानी" वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए, एएजी ने दलील दी कि असम ने उग्रवाद के खिलाफ युद्ध में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंनेन्हों नेकहा कि अपराध का कोण बदल गया है - 'ड्रग्स' नई लड़ाई है।

असम किस तरह से प्रवेश द्वार की तरह काम करता है, इस पर ध्यान दिलाते हुए उन्होंनेन्हों नेकहा कि असम के इतिहास पर विचार करते समय न्यायालय को अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उनकी बात सुनकर, न्यायालय ने आश्वासन दिया कि वह असम और इसकी भौगोलिक स्थिति की संवेदनशीलता के प्रति सचेत है। हालांकि, वर्तमान मामला नशीली दवाओं से संबंधित नहीं है, और अन्यथा भी, पीयूसीएल के निर्णय के आदेश का अनुपालन होना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि मानवाधिकार आयोग का कर्तव्य है कि वह शिकायतों का अपने आप अनुसरण करे, भले ही पीड़ित/पीड़ित के रिश्तेदार इसका अनुसरण करें या न करें। अंततः , न्यायालय ने वकीलों से दो पहलुओं पर डेटा लाने को कहा –

(i) किसने आरोपों की जाँच की और परिणाम क्या था

(ii) ? (ii) क्या राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी स्वयं की जांच मशीनरी का उपयोग करके कोई स्वतंत्र जांच करता है? यह याचिका असम के एक वकील आरिफ मो हम्मद यासीन जवादर ने दायर की है, जिसमें राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा मुठभेड़ों का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि मई 2021 (जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कार्यभार संभाला) से असम पुलिस और विभिन्न मामलों में आरोपी व्यक्तियों के बीच 80 से अधिक फर्जी मुठभेड़ें हुईं। वह सीबीआई, एसआईटी या अन्य राज्यों की पुलिस टीम जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं।पिछले साल 17 जुलाई को याचिका पर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें असम सरकार के अलावा राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग और असम मानवाधिकार आयोग से जवाब मांगा गया था। अप्रैल में, न्यायालय ने सुझाव दिया था कि याचिकाकर्ता कुछ अतिरिक्त जानकारी रिकॉर्ड पर पेश करे। उसी के अनुसार, उन्होंनेन्हों नेतिनसुकिया मुठभेड़ मामले के पीड़ितों के हलफनामे दाखिल किए हैं, जिसमें तीन व्यक्ति (दीपज्योति नियोग, बिस्वनाथ बरगोहेन और मनोज बरगोहेन) कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी में घायल हुए थे। याचिकाकर्ता ने कहा है कि तिनसुकिया मुठभेड़ मामले के दो पीड़ितों बिस्वनाथ और मनोज के परिवार के सदस्य गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते थे। लेकिन, संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने तब तक शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया जब तक कि उन्होंनेन्हों नेयह उल्लेख नहीं किया कि पीड़ित प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन-उल्फा में शामिल होने जा रहे थे। इसके बजाय, मुठभेड़ होने के बाद पीड़ितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस स्टेशन ढोला (असम) के प्रभारी अधिकारी ने खुद को मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया, जबकि वह मुठभेड़ के समय घटनास्थल पर मौजूद थे और कथित तौर पर पीड़ित दीपज्योति नियोग ने उनकी पिस्तौल छीनी थी।

NHRC seeks report on death by suicide of girl student in Andhra Pradesh school

https://www.uniindia.com/news/india/nhrc-seeks-report-on-death-by-suicide-of-girl-student-in-andhra-pradesh-school/3312006.html

New Delhi, Oct 25 (UNI) Taking suo motu cognizance of the reported death by suicide of a Class VIII girl student in the hostel premises of a private school in Guntur District of Andhra Pradesh, the National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police in the state.The commission requested the authorities to submit a detailed report supported by a thorough investigation within four weeks.“The report should include the status of the police investigation and post-mortem examination, including the cause of death.

The authorities are also directed to share any other inquiry reports conducted in the matter,” the NHRC said.

According to a media report, a 13-year-old girl student in the eighth grade at a private school allegedly died by suicide in Guntur District on October 23.

The incident reportedly occurred in the school hostel campus in the Reddypalem village panchayat area of the district.The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raises a serious issue of violation of the human rights of the victim girl. The girl reportedly committed suicide inside the hostel premises i.e. in the lawful custody of the school authorities which is a matter of concern, the NHRC said.